wise inappropriate from the note given by a Member for being appended to the report of the Committee."

कुछ शब्द या वाक्य हटाये जा सकते हैं। हालांकि मैं उसको गैर कानूनी समझता हूं लेकिन उसी को हम आधार मान लें। सरदार कपूर सिंह ने श्री मधु लिमये के ऊपर जो फैसला दिया वह सब मिला कर कोई 15 या 16 पृष्ठों का बनता है। उस में से सात सफ़े बिलकुल उड़ा दिये गये हैं। शब्द नहीं हटाये हैं, कोई इधर उधर का एक आध जुमला नहीं हटाया है। बाकायदा जो वाकया हुआ जिस पर उनकी राय है और एक जज का फैसला है, वह पूरे के पूरे छः, सात सफ़े हटा दिये गये हैं। इस लिये इस सवाल पर सोच विचार किया जा सके, ऐसा निर्णय हम को लेना चाहिये। आप मेहरबानी कर के मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के शब्दों को ध्यान में रख कर सोचिये कि यह मुजरिमाना काम हुआ है जुर्म हुआ है और अपराधी को इसके लिये सजा मिलनी चाहिये। यह विशेषाधिकार भंग का ऐसा प्रश्न हुआ है जहां पर इस सदन के सदस्य के व्यवहार के बारे में इस सदन की कमेटी बैठी थी, विशेषाधिकार समिति। उस कमेटी के एक सदस्य सरदार कपूर सिंह ने अपना फैसला दिया है। उस फैसले के एक हिस्से को छापते हैं और एक हिस्से को काट देते हैं। या तो उसे बिलकुल ही नहीं छापना चाहिये था और अगर छापना था तो पूरा छापना चाहिये था। ऐसी सूरत में मैं कहूंगा कि यह मामला फौरन विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

यह बात अलग रखी जानी चाहिये कि आया सरदार कपूर सिंह इस लायक हैं या नहीं कि विशेषाधिकार समिति में बैठ सकें। अगर नहीं हैं तो आप उनको अलग से हटा दीजिये, लेकिन जब तक वह सदस्य हैं तब तक उनका फैसला जज का फैसला है और उस के बारे में कहीं कोई भी दखल देना आप के सचिवालय की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से, बहुत अनुचित बात है। लोग हमसे कहते हैं कि हम लोक सभा कि शोभा को तोड़ते हैं। मैं आपसे साफ कहना चाता हूं कि आप का सचिवालय लोक सभा की शोभा को खराब करता है और सारे कायदे कानून बिगाड़ दिया करता है। इसलिये मेहरबानी कर के आप फौरन इस सवाल को विशेषाधिकार समिति में भेजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर के देख लूंगा।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर और बहस नहीं चाहता।

12.46 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

NOTIFICATION UNDER PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy): I beg to lay on the Table a copy of the Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1965 published in Notification No. GSR 74 in Gazette of India dated the 8th January, 1966, under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. [*Placed in Library. See* No. LT-6037/65].

12.46½ hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

NINETY-EIGHT AND NINETY-NINTH REPORTS

Shri A. C. Ghua (Barasat): Sir, I present the Ninety-eighth and Ninety-ninth Reports of the Estimates Committee on the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department

[Shri A. C. Guha]

of Community Development)—Parts I and II.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने पंजाब के सम्बन्ध में आप को एक पत्र लिखा था...

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उसे देख लिया है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं उस के बारे जानना चाहता था कि आप की ओर से...

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को उस का उत्तर भेज दूंगा।

12.47 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER—*contd.*

श्री न० प्र० यादव (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा फिर डा० के० एल० राव का ध्यान उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी के अन्तर्गत बागमती नदी की ओर ले जाना चाहता हूं। सन् 1963 में श्री अखौरी प्रसाद, चीफ इंजीनियर, नार्थ बिहार, ने बागमती स्कीम के बारे में एक योजना बना कर सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमिशन के पास भेजी थी, जिस में महादेव नहर के बारे में दिया गया था। महादेव नहर की खुदाई करने के पश्चात उस नहर से उस इलाके की करीब 50 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की सम्भावना है। कुछ दिन बाद उत्तरी बिहार से श्री अखौरी प्रसाद जी की बदली दक्षिण बिहार में कर दी गई और उनके स्थान पर श्री चटर्जी उत्तरी बिहार के चीफ इंजीनियर बनाये गये। लेकिन श्री अखौरी प्रसाद जी ने जो स्कीम बना कर सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमिशन के पास भेजा था उस को श्री चटर्जी ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और उस के छः महीने बाद श्री चटर्जी ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी उस में महादेव नहर की स्कीम की कोई रूपरेखा नहीं है।

श्री चटर्जी ने नेपाल राज्य से करीब कुरसैला पुल तक बागमती नदी के दोनों किनारे बांध बनाने के लिये एक स्कीम भेजी। एक किनारे की तरफ बांध की लम्बाई 105 मील है और दूसरे किनारे पर उस की लम्बाई 103 मील है जिस के बनाने में करीब 3 करोड़ रु० की लागत का अनुमान है। लेकिन मुझे आपके द्वारा डा० के० एल० राव से दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बांध से उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी अनुमंडल या मुजफ्फरपुर प्रमंडल की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डा० के० एल० राव ने सन् 1963 में 12 अक्टबर को बागमती नदी के महादेव नहर का निरीक्षण किया था और सीतामढ़ी में लाखों लोगों की भीड़ में इस इलाके की जनता को आश्वासन दिया था कि महादेव नहर की फिर खुदाई होगी और उससे उस इलाके की सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमन्, अभी करीब 6 महीने से बागमती की स्कीम सैंट्रल पावर एंड वाटर वर्क्स के आफिस में पड़ी हुई है। श्रीमन् मैं पुनः श्री फखरुद्दीन अहमद और डा० के० एल० राव को निमंत्रण देता हूं कि सीतामढ़ी चल कर बागमती नदी और महादेव कैनाल का निरीक्षण करें और देखें कि जो चटर्जी साहब ने स्कीम बना कर भेजी है उस स्कीम में कितनी गड़बड़ी है ? उस स्कीम से वहां की जनता को कोई फायदा नहीं होगा। श्रीमन्, बागमती नदी उत्तरी बिहार में एक ऐसी नदी है जिसके पानी में इतनी उर्वरा शक्ति है कि एक एकड़ जमीन में यदि बाढ़ का पानी सिंचाई के लायक पहुंच जाय तो एक

*Moved with the recommendation of the President.